डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से राज्य शासन की जन–कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार(द्वितीय निविदा आमंत्रण) हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मो का इम्पैनलमेंट हेतु निविदा आमंत्रण

निविदा सूचना क्रमांक–2003 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25/11/2020

// निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रुपये 1,180/–(GST सहित)वापसी योग्य नही।
अमानत राशि	रुपये 50,000/–(बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10/12/2020 समय 2:00 बजे अपरान्ह
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10/12/2020 समय 3:00 बजे अपरान्ह
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 10/12/2020 समय 4:00 बजे अपरान्ह

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

http://samvad.cg.nic.in/, email : cgsamvad@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, फोन – 0771–2512580

क्र. 2069 /छ.ग.सं/प्रकाशन/2020 नवा रायपुर, दिनांक : 25/11/2020

एल.ई.डी. स्क्रीन–वॉल/एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्क्रालर डिस्प्ले बोर्ड/डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार(द्वितीय निविदा आमंत्रण)हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु द्वितीय निविदा आमंत्रण

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा एल.ई.डी. स्क्रीन–वॉल/एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्क्रालर डिस्प्ले बोर्ड/डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु अनुभवी फर्मों से निम्नानुसार द्वितीय निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :–

क्र.	निविदा	निविदा क्रमांक	निविदा प्रपत्र शुल्क, **GST** सहित (वापसी योग्य नहीं)	अमानत राशि (बिना ब्याज के वापसी योग्य)	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि (दोपहर 2:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि (दोपहर 3:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि (सायं 4:00बजे)
1	एल.ई.डी. स्क्रीन वॉल	2001	1180/–	50,000/–	10.12.2020	10.12.2020	10.12.2020
2	एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्क्रालर डिस्प्ले बोर्ड	2002	1180/–	50,000/–	10.12.2020	10.12.2020	10.12.2020
3	एल.ई.डी. डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड– डिजिटल टीवी	2003	1180/–	50,000/–	10.12.2020	10.12.2020	10.12.2020

उपरोक्त निर्धारित तिथि को अपरान्ह् 3:00 बजे तक निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में **छत्तीसगढ़ संवाद भवन के द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक SF-10** में जमा किया जाना है। अपरान्ह् 3:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नियम शर्त एवं निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट **http://samvad.cg.nic.in/** से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम शर्तों या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर, छत्तीसगढ़

डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार(द्वितीय निविदा आमंत्रण) हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट के लिए नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम–मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारियों, उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न माध्यमों से कार्य किया जाता है।

2. निविदा में भाग लेने वाले फर्मों के पास शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य संस्थान के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी में प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। परन्तु शासकीय संस्थान से विज्ञापन प्रदर्शन हेतु एकल अनुबंध प्राप्त एजेन्सियों के लिये संस्थान के साथ अनुबंध पत्र/एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

3. निविदाकारों को निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1180/–(वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 50,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) **'छत्तीसगढ़ संवाद'** के नाम से रायपुर में देय, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा किया जाना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि (Earnest Money) के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट http://samvad.cg.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम–शर्तों व अन्य किसी प्रकार का संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबासइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

4. सफल निविदाकार की अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में रखी जावेगी और सेवा अवधि संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरान्त वापस कर दी जावेगी।

5. **निविदा की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड एवं टेक्निकल के साथ जमा की जाने वाली दस्तावेजों की सूची :–**

1. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 1180/– (वापसी योग्य नहीं) का छत्तीसगढ़ संवाद के नाम से रायपुर में देय डी.डी. क्रमांक .... दिनांक .... रू. 1180/–
2. अमानत राशि रू. 50,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) का छत्तीसगढ़ संवाद के नाम से रायपुर में देय डी.डी. क्रमांक .... दिनांक .... रू. 50,000/–
3. शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य संस्थान हेतु डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी में प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कोई भी शासकीय संस्थान के साथ एकल अनुबंध होने पर अनुबंध पत्र/एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र की प्रतियां जमा करना होगा। इस स्थिति में एकल अधिकार प्राप्त संस्थानों का अनुभव पत्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु शेष फर्मों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

5. वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रचार–प्रसार कार्य संबंधी वार्षिक टर्नओवर कम से कम **<u>रू. 1 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण–पत्र में प्रचार–प्रसार कार्य के टर्न ओव्हर का उल्लेख होना अनिवार्य है</u>।**
6. पेन कार्ड एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 (कर निर्णारण वर्ष 2019–20) के लिए जमा आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा।
7. फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व की डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी का इन्वाईस संलग्न करना होगा। यदि स्वयं के स्वामित्व का नहीं है तो स्वामित्व धारी के साथ कम से कम 3 वर्ष का अनुबंध की प्रति संलग्न करना होगा। निजि व शासकीय संस्थान में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु एकल अधिकार प्राप्त संस्थानों के लिये अनुबंध पत्र अनिवार्य है। शेष अनिवार्य नहीं हैं।
8. छत्तीसगढ़ राज्य के नगर पालिका निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र या संबंधित शासकीय संस्था में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार कार्य संबंधी पंजीयन दस्तावेज संलग्न करना होगा।
9. डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड में विज्ञापन प्रसारण हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय/संबंधित संस्थान वैध अनुमति फर्म को प्राप्त करनी होगी। अनुमति प्राप्त करने का दायित्व संबंधित डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी वाले फर्म का रहेगा।

6. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रू. 100/– के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।

7. निविदाकार को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय समय पर जारी नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा।

8. निविदा हेतु एक लिफाफा टेक्निकल बिड एवं एक पृथक लिफाफा फाईनेन्शियल बिड हेतु प्रस्तुत करें। टेक्निकल बिड लिफाफा में निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार वांछित दस्तावेज भरकर लिफाफे के उपर टेक्निकल बिड लिखना होगा। फाईनेन्शियल बिड लिफाफा में निर्धारित प्रारूप में राशि भरकर प्रस्तुत करना होगा एवं लिफाफा के उपर फाईनेन्शियल बिड लिखना अनिवार्य होगा। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज/जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी।

9. टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए फर्मों का फाईनेन्शियल बिड खोला जाएगा एवं प्राप्त न्यूनतम दर पर इम्पैनलमेंट हेतु टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए सहमत फर्मों को तीन वर्ष के लिए इम्पैनल्ड किया जाएगा। कार्य संतोषजनक होने पर एल–1 दर पर तीन वर्ष समाप्ति के पश्चात पुनः अधिकतम एक वर्ष अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

10. वित्तीय प्रस्ताव में उल्लेखित अवधि के अलावा अन्य अवधि हेतु कार्य की आवश्यकता होने पर न्यूनतम अनुपातिक दर पर कार्य कराने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

11. डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु धन–जन–थर्ड पार्टी के सुरक्षा का दायित्व संबंधित डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी एजेंसी/फर्म का होगा। अतः इस संबंध में संबंधित फर्म को पर्याप्त सुरक्षा एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद का इस संबंध में किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

12. इम्पैनल्ड फर्मों को समय–समय पर संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यादेश अनुसार कार्य आबंटन का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

13. निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि दिनांक 10.12.2020 समय दोपहर 3:00 बजे तक बंद लिफाफे में **छत्तीसगढ़ संवाद भवन के द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक SF-10** में जमा करना है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14. निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा संपूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।

15. निर्धारित प्रारुप में 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित यह प्रमाण–पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है, भविष्य में कोई प्रमाण–पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले तीन वर्षों तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। इस प्रमाण–पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना होगा कि संस्था किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में ब्लेक लिस्टेड नहीं हैं।

16. इम्पैनल्ड फर्मों के त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/जनसंपर्क संचालनालय/शासन के किसी प्रकार की क्षति अथवा प्रतिष्ठा धूमिल होने पर संबंधित फर्म को एक वर्ष के लिए ब्लेक लिस्टेड किया जा सकेगा एवं पेनाल्टी के रूप में निश्चित राशि देयक का अधिकतम 25 प्रतिशत तक कटौती का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। पेनाल्टी राशि का समायोजन फर्म द्वारा जमा अमानत राशि से किया जा सकेगा।

17. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :** किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

18. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का अवलोकन किया गया है एवं उक्त सभी बिन्दु निविदाकार फर्म को मान्य है।

19. किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं——————————संस्था प्रमुख निवासी ————————————छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ———————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान ——————

दिनांक —————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार(द्वितीय निविदा आमंत्रण) हेतु वित्तीय प्रस्ताव

(अ) नगर निगम क्षेत्र/अन्य शासकीय संस्थाओं जैसे– एयरपोर्ट, रेल्वे क्षेत्र

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	दर (जीएसटी अतिरिक्त)		
			नगर निगम क्षेत्र	एयरपोर्ट क्षेत्र	रेल्वे क्षेत्र
1.	Digital display board-Digital TV (फर्म अपने स्वयं के स्वामित्व की डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी की साईज एवं डिस्प्ले स्थल का उल्लेख करें।) स्पॉट प्रसारण– **न्यूनतम 15 सेकण्ड का एवं प्रति एक से डेढ़ मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो।** Digital Display TV 65'' Ultra HD Tv **Minimum 2.63X4.68 Feet**	1 दिन			
		3 दिन			
		7 दिन			
		1 माह			
		6 माह			

(ब) नगर पालिका क्षेत्र/अन्य शासकीय संस्थाओं जैसे– एयरपोर्ट, रेल्वे क्षेत्र

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	दर (जीएसटी अतिरिक्त)		
			नगर पालिका क्षेत्र	एयरपोर्ट क्षेत्र	रेल्वे क्षेत्र
1.	Digital display board-Digital TV (फर्म अपने स्वयं के स्वामित्व की डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी की साईज एवं डिस्प्ले स्थल का उल्लेख करें।) स्पॉट प्रसारण– **न्यूनतम 15 सेकण्ड का एवं प्रति एक से डेढ़ मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो।** Digital Display TV 65'' Ultra HD Tv **Minimum 2.63X4.68 Feet**	1 दिन			
		3 दिन			
		7 दिन			
		1 माह			
		6 माह			

(स) नगर पंचायत क्षेत्र

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	दर (जीएसटी अतिरिक्त)
1.	Digital display board-Digital TV (फर्म अपने स्वयं के स्वामित्व की डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी की साईज एवं डिस्प्ले स्थल का उल्लेख करें।) स्पॉट प्रसारण– **न्यूनतम 15 सेकण्ड का एवं प्रति एक से डेढ़ मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो।** Digital Display TV 65'' Ultra HD Tv **Minimum 2.63X4.68 Feet**	1 दिन	
		3 दिन	
		7 दिन	
		1 माह	
		6 माह	

–उपरोक्त दरों के अलावा जीएसटी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम/पता संपर्क नंबर एवं
सील–मुद्रा सहित

डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार(द्वितीय निविदा आमंत्रण) हेतु अनुबंध

छत्तीसगढ़ संवाद, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ (पक्ष क्रमांक 01) एवं मेसर्स .... (पक्ष क्रमांक 02) द्वारा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार हेतु दिनांक– / /2020 से दिनांक– / /2023 तक के लिए दोनों पक्षों की सहमति से निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुबंध किया जाता है –

1. यह कि छत्तीसगढ़ संवाद (पक्ष क्र.01) द्वारा निविदा के न्यूनतम दर रू. ....की दर से शासन की विभागों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं से समय–समय पर कार्यादेश प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार पक्ष क्रमांक 02 को पृथक से डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु कार्यादेश जारी किया जाएगा।
2. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद से जारी कार्यादेश अनुसार निर्धारित स्थल एवं नियत अवधि में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार का कार्य संपादित कर कार्यादेश में उल्लेखित संबंधित विभाग/कार्यालय के अधिकारी से सत्यापित कार्यसंपादन प्रमाण–पत्र एवं फोटोग्राफ्स देयक के साथ पक्ष क्रमांक 01 के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. यह कि पक्ष क्रमांक 01 द्वारा संबंधित विभाग से देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात पक्ष क्रमांक 02 के देयक का भुगतान नियमानुसार टैक्स कटौती पश्चात किया जाएगा।
4. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा नियमानुसार जीएसटी एवं अन्य दायित्वों का भुगतान नियत समय के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा।
6. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी में प्रचार–प्रसार हेतु पुलिस प्रशासन/स्थानीय प्रशासन से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। निजी व शासकीय संस्थान में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु एकल अधिकार प्राप्त संस्थानों के लिये अनुबंध पत्र/एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र अनिवार्य हैं शेष अनिवार्य नहीं हैं।
7. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा प्रचलित एवं समय–समय पर जारी समस्त नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा।
8. यह कि पक्ष क्रमांक 02 का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध की अवधि पुनः एक वर्ष अथवा आगामी निविदा के अनुमोदन तक बढ़ाने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 के पास सुरक्षित रहेगा।
9. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को निविदा के न्यूनतम दर पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु इम्पैनल्ड किया गया है।
10. यह कि पक्ष क्रमांक 02 के त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से पक्ष क्रमांक 01/छत्तीसगढ़ संवाद/जनसंपर्क संचालनालय/शासन के किसी प्रकार की क्षति अथवा प्रतिष्ठा धूमिल होने पर संबंधित फर्म को एक वर्ष के लिए ब्लेक लिस्टेड किया जा सकता है एवं पेनाल्टी के रूप में निश्चित राशि देयक का अधिकतम 10 प्रतिशत तक कटौती का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। पेनाल्टी राशि का समायोजन फर्म द्वारा जमा अमानत राशि से किया जा सकता है।
11. यह कि किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
12. यह कि उपरोक्त शर्तो के अनुसार पक्ष क्रमांक 02 का कार्य संतोषजनक न होने पर पक्ष क्रमांक 01 को अनुबंध समाप्त कर धरोहर राशि राजसात करने का अधिकार होगा।
13. यह कि व्यवहार में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।
14. यह कि विषयांतर्गत कार्य हेतु जारी निविदा क्रमांक .... दिनांक........... इस अनुबंध का भाग रहेगी तथा उसमें उल्लेखित शर्तें दोनों पक्षों हेतु बंधनकारी होगी।

<u>चेकलिस्ट</u>

टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की सूची

1. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 1180/– का **छत्तीसगढ़ संवाद** के नाम से रायपुर में देय डीडी क्र............................ दिनांक .... रू. 1180/–

2. अमानत राशि रू. 50,000/– का **छत्तीसगढ़ संवाद** के नाम से रायपुर में देय डीडी क्र........ .... दिनांक .... रू. 50,000/–

3. शासकीय/अर्द्धशासकीय/संस्थान मे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार– संबंधी कार्य अनुभव के साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र, अनुबंध पत्र/एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रतियां निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करना है।

क्र.	**नियोक्ता (शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय) का नाम**	**सेवा अवधि (दिनांक ....से..........तक कुल........वर्ष)**

4. वित्तीय वर्ष 2019–20 का चार्टेड एकाउंटेड से सत्यापित कम से कम रू. एक लाख का वार्षिक टर्न ओव्हर प्रमाण–पत्र। टर्न ओव्हर प्रमाण–पत्र में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य के टर्न ओव्हर का उल्लेख होना अनिवार्य है।

5. पेन कार्ड की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 (कर निर्धारण वर्ष 2019–20) के जमा आयकर रिटर्न की प्रति।

6. फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व की डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी का इन्वाईस की प्रति। यदि स्वयं के स्वामित्व का नहीं है तो स्वामित्व धारी के साथ कम से कम 2 वर्ष का अनुबंध की प्रति संलग्न करना होगा। निजी व शासकीय संस्थान में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु एकल अधिकार प्राप्त संस्थानों के लिये संस्थान के साथ अनुबंध पत्र/एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र अनिवार्य हैं। अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है।

7. फर्म द्वारा स्थापित डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के स्थल एवं साईज की सूची।

8. नगर पालिक निगम, रेलवे या संबंधित शासकीय संस्था में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार कार्य संबंधी पंजीयन की प्रति।

9. एल.ई.डी स्क्रीन में विज्ञापन प्रसारण हेतु पुलिस प्रशासन/स्थानीय प्रशासन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।

10. निर्धारित प्रारूप में रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र की मूल प्रति।

11. उपरोक्त क्रम में ही दस्तावेजों को टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा एवं वांछित दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना है।